123

निगरानी 250-III-15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, म०प्र० ग्वालियर, सर्किट कोर्ट, रीवा, जि० रीवा (म०प्र०)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

24
23-1-15

(1) अनन्तमणि) तीनों के पिता त्रियुगी नारायण ब्रा०,
(2) राममणि) सभी नि० ग्रा० अकौरी, तह० जवा, जिला- रीवा,
(3) कृष्णमणि) (म०प्र०)
------निगरानीकर्तागण

बनाम

चूड़ामणि तनय सत्यदेव ब्रा०, नि० ग्रा० अकौरी, तह० जवा, जिला- रीवा (म०प्र०)
----गैरनिगरानीकर्ता

श्री ... द्वारा आज दिनांक ... 01-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महो० रीवा संभाग, रीवा (म०प्र०) द्वारा प्रक०क्र०-29/निग/2014-15 में आदेश दिनांक 18-12-14. अंतर्गत धारा 50 म० प्र०भू०रा० सं० 1959 ई०

महोदय,

क्रमांक 4388
रजिस्ट्री ... द्वारा आज
दिनांक ...-1-15 को प्राप्त

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र०

(1) यह कि ग्राम अकौरी की आ० नं० 653/2 रकवा 0.89ए० के भूमिस्वामी निगरानीकर्तागण एवं आ०नं० 653/5 रकवा 0.57ए० के भूमिस्वामी गैरनिगरानीकर्ता है। गैरनिगरानीकर्ता द्वारा आ० नं० 653/5 रकवा 0.57ए० का सीमांकन राजस्व नि० मं० त्यौंथर द्वारा दिनांक 16-01-07 को कराया, जिसमें रा०नि०मं० से अवैध सांठगांठ कर आ० नं० 653/5 में एक नया बटांक कर 653/6 रकवा 0.12ए० कायम कराकर नक्शा तरमीम एवं सीमांकन कराया। जिसमें 653/6 रकवा 0.12 ए० भूमि निगरानीकर्तागण के कब्जे की भूमि है। उक्त कार्यवाही की जानकारी निगरानीकर्तागण को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी– 250–तीन/15 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23. 8.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय उपस्थित। उनक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 29/निगरानी/14–15 में पारित आदेश दिनांक 18.12.14 के विरूद्व इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक अनंतमणि द्वारा तहसीलदार त्यौथर जिला के प्रकरण कमांक 186/अ–21/05–06 में पारित आदेश दिनांक 25.2.27 के विरूद्व अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर रीवा द्वारा दिनांक 19.3.09 को आदेश पारित कर अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया। जिससे परिवेदित होकर निगरानी अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत हुई जो उनके आदेश दिनांक 18.12.14 के अनुसार स्वीकार की गई । जिससे दुखी होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि निगरानीकर्ता के कब्जे की भूमि है उक्त कार्यवाही पीठ पीछे करायी गयी है। निगरानीकर्ता 1 अनन्तमणि शासकीय नौकरी में रहता है तथा कमांक 2, 3 प्राईवेट नौकरी करते है। उक्त जानकारी हुई निगरानीकर्ता कि भूमि का नक्शा तरमीम एवं सीमांकन एक पक्षीय	

रूप में मनमानी तौर पर कर दिया गया है तथा ह लोगों के कब्जे की भूमि पर छटवां नया बटांकन कायम कर दिया गया है। जिसकी जानकारी होने पर तहसीलदार के न्यायालय की नकल लेकर अपर कलेक्टर रीवा के यहा अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा निरस्त कर दी गई। अन्त में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार की जावे।

4— आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि अपर कलेक्टर के द्वारा यह कहा गया है कि गैर निगरानीकर्ता को सूचित नहीं किया गया है। जबकि गैर निगरनीकर्ता के पिता त्रियुगीनारायण के हस्ताक्षर पंचनामा पर बने हुये हैं । सीमांकन केसमय गैर निगरानीकर्ता के द्वारा सीमांकन का विरोध नहीं किया गया है । गैर निगरानीकर्ता के पिता शामिल सरीक होकर अपने परिवार के साथ रहते है इसलिये शामिल सरीक व्यक्ति को अगर सम्मन की सूचना दी गई है तो वह व्यक्तिगत सूचना मानी जाती है। सीमांकन दिनांक 16.1.07 को किया गया है तथा सीमांकन की पुष्टि तहसीलदार के द्वारा दिनांक 25.2.07 को की गई है । अतएव उक्त एक माह की अवधि व्यतीत होने के बाद सीमांकन पर आपत्ति पेष नहीं की गई है। गैर निगरानीकर्ता के द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि सीमांकन से उसके किस खसरा नंबर की भूमि प्रभावित हुई है। गैर निगरानीकर्ता की भूमि अगर प्रभावित हुई है तो उसे भी अपने भूमि का सीमांकन कराकर उचित निर्णय प्राप्त करना चाहिये ।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण के पिता के पंचनामा पर एवं सूचना पत्र पर हस्ताक्षर हैं । ऐसी स्थिति में अपर

आयुक्त द्वारा पारित किये गये आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से स्थिर रखा जाता है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य